<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

<u>दांडिक प्रकरण क.-169/11</u> संस्थित दिनांक- 03.05.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरूद

- 1. पतराम पुत्र रामसिंह कुशवाह उम्र 32 साल
- नारायण पुत्र नत्थू आदिवासी उम्र 35 साल निवासीगण ग्राम देसाई खेडा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 17.05.2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा—294, 323/34, 324/34, 504 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक—24.03.11 समय 17:00 बजे ग्राम देसाईखेडा में फरियादी बेटीबाई को लोकस्थान पर मां—बहन की अश्लील गालियां उच्चारिक कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं बेटीबाई को इस आशय से अपमानित किया कि वह लोकशांति भंग करे अथवा अन्य कोई अपराध कारित करे साथ ही फरियादिया बेटीबाई व आहत कैलाश को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत कैलाश को लाठियों से एवं फरियादिया बेटीबाई को धारदार हथियार से स्वेच्छया उपहित कारित।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—24.03.11 को समय 17:00 बजे के करीबन अभियुक्त पतराम फरियादियां बेटीबाई की बच्ची सविता को गाली देने लगा, जिस पर फरियादियां ने जब गालियां देने से मना करने अभियुक्त पतराम ने लाठी मारी जो फरियादी की कमर में लगने से गिर गई जिससे उसे मुंदी चोट आई व अभियुक्त नारायण ने लाठी मारी जो फरियादियां के बाये कंधे में लगकर खून निकल आया। अभियुक्त नारायण ने एक लाठी कैलाश को मारने से उसके बाये हाथ की कोहनी में लगने से मुंदी चोट आई। उक्त घटना के बाद फरियादियां बेटीबाई, कैलाश, मोहन व दिस्साबाई के साथ रिपोर्ट करने थाना पिपरई आई उक्त फरियादियां की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना

पिपरई के अदम चैक कमांक 122/11 लेखबद्ध कर आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में फरियादियां बेटीबाई को धारदार वस्तु से कारित उपहित पाये जाने पर दिनांक—04.04.11 पुलिस थाना चंदेरी के अपराध कमांक—89/11 अंतर्गत भा0द0वि0 धारा—324, 323, 504, 34 के तहत अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 04— अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निद्मेष है उसे झूठा फंसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 24.03.11 को 17 बजे ग्राम देसाईखेडा में फरियादी बेटीबाई को लोक स्थान पर मां बहन की अश्लील गालिया देकर उसे व सुनने वालेंा को क्षोभ कारित किया ?
 - 2. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने बेटी बाई को इस आशय से अपमानित एवं प्रकोपित किया कि वह लोक शांति भंग करे अथवा अन्य कोई अपराध कारित करे ?
 - 3 क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्ताण ने बेटीबाई एवं कैलाश को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में बेटीबाई को धारदार वस्तु से एवं केलाश को लाठियों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2 व 3 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 06— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुनवृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों को विवेचन एक साथ किया जा रहा है।
- 07— फरियादी बेटीबाई (अ0सा—1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि वह तीन—चार साल पहले मजदूरी पर चना काटने गयी थी, आरोपीगण उसकी लडकी भिन्जों को दरवाजें में खडे होकर गालियां दे रहे थे और उसके लडके कैलाश को घर में छैके हुये थे, और घर में पत्थर मार रहे थे और दोनों अभियुक्त दरवाजे में लाठी और कुल्हाडी मार रहे थे और

जब उसने मना किया तो आरोपीगण ने उसके साथ भी मारपीट कर दी थी। इस साक्षी का अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहना है कि कैलाश उसका लडका परन्तु कैलाश के साथ कोई घटना नही हुयी। बेटीबाई (अ०सा—1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में भी अपनी लडकी भिन्जों को आरोपीगण द्वारा गालिया दिये जाने के संबंध में कथन देती हैं तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 9 में इस साक्षी के अनुसार उसके सामने आरोपीगण ने कैलाश से कोई बात नहीं की थी और न ही उसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 व कथन प्रदर्श डी 1 में नारायण द्वारा कैलाश को लाठी से बाये हाथ की कोहनी में मारने वाली बात लेख करायी थीं।

- 08— बेटीबाई (अ0सा—1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन उसके द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 एवं पुलिस को दिये गये कथन प्रदर्श डी 1 से मेल नही खाते है। इस साक्षी के न्यायालय में दिये गये कथनों में एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में उल्लेखित घटना पुलिस को दिये गये कथन प्रदश्न डी 1 में गंभीर विरोधाभास हैं। फरियादी बेटीबाई (अ0सा—1) अपने न्यायालीन कथनों में आरोपीगण द्वारा विवाद की शुरूआत उसकी लडकी भिन्जों को गालियां देने से बताती हैं परन्तु प्रकरण में दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में सबिता असा 6 को आरोपीगण द्वारा गालियां दिये जाने पर विवाद होना लेख कराया गया है, जो कि बेटीबाई (अ0सा—1) की भतीजी है। अतः बेटीबाई (अ0सा—1) के कथनों में इस संबंध में ही गंभीर विरोधाभास है कि वास्तव में विवाद किस को गालिया देने से शुरू हुआ था।
- 09— सिबता (अ०सा—6) के कथन अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में कराये गये हैं जिसको आरोपीगण द्वारा गालिया दिये जाने से अभियोजन कहानी के अनुसार विवाद हुआ था। सिबता (अ०सा—6) ने अपने न्यायालीन कथनों में ही फिरयादी बेटीबाई (अ०सा—1) के न्यायालीन कथनों का समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी का कही यह कहना नहीं है कि अभियुक्तगण ने उसे गालियां दी थी, जिसके बाद उनका बेटीबाई से विवाद हुआ था। अभियोजन द्वारा इस साक्षी का पक्षविरोधी कर उसका विस्तार पूर्वक परीक्षण किया गया परन्तु इस साक्षी ने बेटीबाई (अ०सा—1) के कथन सिहत अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये तथा पतराम के द्वारा विवाद के समय स्वयं को गालिया दिये। जाने की घटना से ही इन्कार किया है।
- 10— बेटी बाई (अ0सा—1) का अपने संपूर्ण न्यायालीन कथनो में कही भी यह कहना नही है कि आरोपीगण ने उसे गालियां दी तथा उसे कौन सी गालिया दी वहीं वास्तव में आरोपीगण किसे गालिया दे रहे थे, इस संबंध में भी बेटीबाई (अ0सा—1) के कथनो में विरोधाभास की स्थिति हैं। बेटी बाई (अ0सा—1) ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि यदि आरोपीगण द्वारा गालियां दी जा रही थी तो वह कौन से शब्द उच्चारित कर रहे थे तथा किस स्थान पर गालियां दे रहे थे। अतः अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण ने बेटी बाई (अ0सा—1) या सबिता (अ0सा—6) को कोई

(4)

गालियां या अश्लील शब्द उच्चारित किये थे। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध यह साबित नहीं होता है कि उन्होंने घटना दिनांक को बेटी बाई (अ०सा—1) व सबिता (अ०सा—6) को लोक स्थान पर मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर क्षोभ कारित किया या इस आशय से अपमानित एवं प्रकोपित किया कि वह लोक शांति भंग करे अथवा अन्य कोई अपराध कारित कर

- 11— बेटी बाई (अ०सा—1) अपने न्यायालीन कथनों में आरोपीगण का अपने पुत्र कैलाश (अ०सा—4) के साथ भी कोई विवाद न होना बताती है जबिक दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 एवं पुलिस को दिये गये कथन प्रदर्श डी 1 में इस बात का उल्लेख है कि नारायण ने कैलाश के बाये हाथ की कोहनी में लाठी मारी थी। अतः कैलाश के साथ आरोपीगण ने मारपीट कर उसे उपहित कारित की थी, इस संबंध में स्वयं बेटी बाई (अ०सा—1) ने अभियोजन घटना के विरुद्ध न्यायालय में कथन दिये हैं। अभियोजन कहानी के अनुसार घटना में आहम कैलाश (अ०सा—4) के कथन भी अभियोजन में अपने समर्थन में न्यायालय में कराये गये हैं, परन्तु कैलाश (अ०सा—4) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन कहानी के विरुद्ध कथन देते हुये, घटना की जानकारी होने से ही इन्कार किया है।
- 12— कैलाश (अ०सा—४) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन कहानी के विरूद्ध यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने बेटी के साथ भी कोई मारपीट नहीं की थी। चिकित्सीय साक्षी डाक्टर प्रशांत दुबे (अ०सा—7) जिनके द्वारा घटनाके बाद फरियादी साहित कैलाश (अ०सा—4) का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है, ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि परीक्षण के समय प्रदर्श पी 11 की रिपोर्ट के अनुसार कैलाश के शरीर पर उसने कोई चोटे नहीं पायी। अतः आरोपीगण के द्वारा केलाश (अ०सा—4) के साथ कोई मारपीट की गई इस संबंध में स्वयं फरियादी बेटीबाई (अ०सा—1) सहित आहत कैलाश (अ०सा—4) के द्वारा अभियोजन में समर्थन न करने से एवं चिकित्सीय साक्ष्य से केलाश (अ०सा—4) के शरीर पर किसी प्रकार की कोई चोट घटना के बाद न होने की पुष्टि होने से यह साबित नहीं होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण ने सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में कैलाश को कोई उपहित कारित की थी।
- 13— जहां तक बेटीबाई (अ०सा—1) के साथ आरोपीगण द्वारा मारपीट की घटना कारित कर उसे उपहित कारित करने का प्रश्न हैं तो इस संबंध में बेटीबाई (अ०सा—1) के स्वयं के न्यायालीन कथनो में गंभीर विरोधाभास की स्थिति हैं, जो कि तात्विक स्वरूप का हैं। यदि वास्तव में कोई घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई कोई कारण अवश्य होता है और जिस व्यक्ति के साथ वह घटना घटित होती है, उसे चाहे कितना भी समय व्यतीत हो जाये तथा अन्य बातों को भले ही भूल जाये, परन्तु घटना किस कारण से घटित हुई यह फरियादी ही भूल जाये इस पर कोई सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति विश्वास नही कर सकता है। इस प्रकरण में बेटीबाई (अ०सा—1) को यही याद नही है कि पतराम के द्वारा उसकी लडकी

भिन्जों को गालियां देने पर से उसका विवाद पतराम से हुआ था अथवा उसकी भतीजी सबिता (अ0सा—6) को गालियां देने से विवाद हुआ था। इस संबंध में फरियादी बेटीबाई (अ0सा—1) के कथनों में उत्पन्न हुआ विरोधाभास अभियोजन कहानी के नींव को ही हिला देता है।

- 14— बेटीबाई (अ०सा—1) अपने न्यायालीन कथनों में स्वयं के द्वारा की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के विपरीत कैलाश (अ०सा—4) के साथ आरोपीगण द्वारा कोई मारपीट न किया जाना बताती हैं जबिक कैलाश (अ०सा—4) उसका स्वयं का पुत्र होकर अभियोजन कहानी के अनुसार घ ाटना में आहत है भले ही कैलाश ने अभियोजन के समर्थन में तथा आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन न्यायालय में नही दिये हैं परन्तु फरियादी बेटीबाई (अ०सा—1) के द्वारा कैलाश (अ०सा—4) के संबंध में दिये गये उपरोक्त कथन उसके कथनों की विश्वसनीयता को संदेह के घेरे में ले आते है क्योंकि घटना में यदि केलाश (अ०सा—4) के साथ आरोपीगण ने कोई मारपीट नहीं की तो इस संबंध में उसके द्वारा थाने पर रिपोर्ट क्यों दर्ज करायी गयी ?
- 15— बेटीबाई (अ0सा—1) के कथन घटना स्थल के संबंध में ही स्पष्ट नही है, बेटीबाई (अ0सा—1) अपने कथनों में घर के बाहर दरवाजें पर आरोपीगण द्वारा गालिया दिये जाने के संबंध में कथन देती है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी भगवती प्रसाद शर्मा (अ0सा—5) जिसका कहना है कि उसने फरियादी बेटी बाई (अ0सा—1) की निशानदेही पर नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 बनाया था। नक्शा मोका प्रदर्श पी 2 के अनुसार घटना स्थल फरियादी के मकान के बाहर अशोकनगर पिपरई रोड का चिंहित किया गया। एक व्यक्ति को जिसके साथ घटना घटित हुई है उसे यही याद न हो कि घटना किस स्थान पर घटित हुई यह सभव नहीं है। घटना में बेटीबाई (अ0सा—1) को आरोपीगण ने किस प्रकार उपहित कारित की, इस सबंध में स्वयं बेटीबाई (अ0सा—1) के कथन विरोधाभासी हैं।
- 16— बेटीबाई (अ0सा—1) का कहना है कि आरोपीगण घर पर पत्थर फेंक रहे थे तथा दरवाजे में लाठी और कुल्हाडी मार रहे थे, परन्तु ऐसी कोई घटना प्रथम सूचना रिपोर्ट में लेख नहीं करायी गयी थी। बेटीबाई (अ0सा—1) अपने मुख्यपरीक्षण में पतराम को लाठी लिये हुये एवं नारायण को कुल्हाडी लिये हुये घटना के समय उपस्थित होना बताती हैं तथा इस साक्षी का कहना है कि पतराम ने उसे लाठी से मारा था, लेकिन नारायण ने उसे कुल्हाडी नहीं मारी। परन्तु यही साक्षी पक्षविरोधी होने के बाद नारायण के हाथ में घटना के समय फटी लाठी होना बताती है, तथा उस लाठी से नारायण द्वारा मारने पर दाये हाथ कलाई में खून निकलना बताती है। बेटी बाई (अ0सा—1) पुनः अपने उपरोक्त कथनों के विपरीत अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में नारायण के द्वारा सिर में डंडा मारना बताती है, तथा डंडा पड़ने से बेहोश होना बताती है।
- 17— सर्व प्रथम तो डाक्टर प्रशांत दुबे (अ०सा—7) ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि फरियादी बेटीबाई (अ०सा—1) के सिर में कोई चोट नही आयी थी। प्रथम

सूचना रिपार्ट प्रदर्श पी 1 में भी इस बात का कही उल्लेख नही है कि बेटीबाई के सिर में नारायणने लाठी मारी थी। बेटी बाई (अ०सा—1) एक ओर नारायण को कुल्हाडी लिये होना बताती है तथा कुल्हाडी से नारायण द्वारा कोई मारपीट न किया जाना भी बताती हैं परन्तु यही साक्षी अपने पूर्व के कथनों से पलटते हुये नारायण के हाथ में फटी हुई लाटी होना तथा उसे लाठी से नारायण के द्वारा उसके सिर में उपहित कारित करना बताती है जबिक चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार फरियादी के चिकित्सीय परीक्षण में उसे सिर पर कोई चोट नहीं थी।

- 18— डाक्टर प्रशांत दुवे (अ०सा—7) के अनुसार बेटी बाई (अ०सा—1) के चिकित्सीय परीक्षण में उसके द्वारा बेटी बाई के बाये हाथ के ढड़ा पर एक कटा हुआ घाव जिसका आकार चार गुणित 1/4 गुणित 1/4 सेंटीमीटर पाये गये। जो कि साधारण प्रकृति का है। इस साक्षी के उपरोक्त कथनों की पुष्टि उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय रिपोर्ट से भी होती है। अतः चिकित्सीय साक्ष्य के अनसार इस संबंध में कोई संदेह की स्थिति नही है कि घटना के बाद बेटी बाई असा 1 के हुये चिकित्सीय परीक्षण में उसके बाये हाथ के ढड़ा पर एक कटा हुआ घाव था। परन्तु स्वयं बेटीबाई (अ०सा—1) उक्त स्थान पर उपहित कारित हुई इस संबंध में इस साक्षी के कथन गंभीर विरोधाभास से युक्त हैं। बेटीबाई (अ०सा—1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में जहां सीधे हाथ की कलाई में चोट आना बताती है, वहीं पुन: पलटते हुये बीच हाथ में चोट आना बताती है। इस साक्षी का यह तक कहना है कि उसे जानकारी नहीं है कि उक्त चोट लाठी की थी, या पत्थर पर गिरने से आयी थी।
- 19— बेटीबाई (अ0सा—1) सीधे हाथ सीधे हाथ की कलाई में चोट आना बताती है जबकि चिकित्सीय रिपार्ट के अनुसार उसके बाये हाथ के ढडा में कटा हुआ घाव पाया गया। बेटी बाई (अ०सा-1) पक्षविरोधी होने के बाद नारायण द्वारा फटी हुई लाठी से उपरोक्त उपहति कारित होना बताती है, जबिक पुनः यही साक्षी यह कहती है कि उसे जानकारी नही है कि उक्त चोट लाठी की थी, या पत्थर पर गिरने से आयी थी। अतः घटना में आहत एक व्यक्ति से यह उपेक्षा नहीं हो सकती हे कि उसे यही याद न हो कि शरीर के किस भाग पर किस वस्तु से चोट आई थी। बेटी बाई (अ०सा–1) कभी नारायण के हाथ में कुल्हाडी होना बताती हैं तो कभी लाठी। बेटी बाई (अ०सा–1) स्वयं ही स्पष्ट नही है कि किस कारण से किस स्थान पर किस वस्तु से अभियुक्तगण ने किस के साथ मारपीट की थी। इस साक्षी ने अपने न्यायालीन कथना में घटना का समय तक स्पष्ट नही किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 अपने आप में घटना का निश्चायक प्रमाण नही होता है उसे साक्ष्य से साबित किया जाना आवश्यक होता है। फरियादी बेटीबाई (अ०सा–1) को छोडकर घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों एवं आहत ने अभियोजन घटना के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये हैं, वहीं बेटीबाई (अ0सा–1) के स्वयं के कथन कई गंभीर तात्विक विरोधाभासों से युक्त हैं जिसके आधार पर संपूर्ण अभियोजन कहानी संदेहस्पद प्रतीत होती है, जिसका लाभ निश्चित रूप से अभियुक्तगण को जाता है।

- 20— किसी भी प्रकरण में दोषसिद्धी के लिये अभियोजन को अपना मामला युक्त्युक्त सेंदह से परे साबित करना होता है। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन के समर्थन में एकमात्र बेटीबाई (अ0सा—1) के कथन अभिलेख पर हैं जो कि गंभीर विरोधाभास से युक्त हैं तथा उस कोटि के नहीं है जिसके मात्र आधार पर अभियोजन घटना प्रमाणित मानी जा सके। फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरौक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक—24. 03.11 समय 17:00 बजे ग्राम देसाईखेडा में फिरयादी बेटीबाई को लोकस्थान पर मां—बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं इस आशय से अपमानित किया कि बेटीबाई लोकशांति मंग करे अथवा अन्य कोई अपराध कारित करे अभियोजन यह साबित करने में भी पूरी तरह से असफल रहा है कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फिरयादिया बेटीबाई व आहत कैलाश को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत कैलाश को लाठियों से एवं फिरयादिया बेटीबाई को धारदार हथियार से स्वेच्छया उपहित कारित की थी।
- 21— अतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण **पतराम पुत्र रामसिंह कुशवाह एवं नारायण पुत्र** नत्थू आदिवासी के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा—294, 504, 323/34, 324/34 के आरोप साबित 294, 504, 323/34, 324/34 होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण **पतराम पुत्र रामसिंह कुशवाह एवं नारायण पुत्र नत्थू आदिवासी** को भा०दं०वि० की धारा—294, 504, 323/34, 324/34 . के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 22— अभियुक्तगण **पतराम पुत्र रामिसंह कुशवाह एवं नारायण पुत्र नत्थू आदिवासी** के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्त का धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति अपील अविध पश्चात् मूल हीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)